न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00187
अपील संख्या :– 07/2019

कल्याण पुत्र स्व. श्री धन्ना, जाति मीणा, आयु 85 वर्ष, निवासी ग्राम सिण्डोलाई, पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –अपीलान्ट

बनाम

1. बरजी देवी पत्नी श्री बालू राम, जाति मीणा
2. नाथी देवी पत्नी श्री गोपी राम, जाति मीणा
   निवासीयान ग्राम सिण्डोलाई, पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 05.01.2012

निर्णय दिनांक 10.02.2021

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सिण्डोलाई, पटवार हल्का रोजदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 2.00 हैक्टे0 बारानी स्थित है, जिसमें अपीलान्ट् का हिस्सा 1/2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है।

यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने 1/2 हिस्से में से 85/100 भाग का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2011 को रेस्पोडेंट संख्या 2 को बेचान कर दिया तथा शेष 15/100 भाग रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना होकर सहवन से अपीलान्ट के राजस्व रिकॉर्ड में उसके 1/2 हिस्से की बजाय 15/100 दर्ज कर दी जबकि अपीलान्ट का हिस्सा उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा पूर्व से ही चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से रेस्पोडेंट संख्या 1 का शेष हिस्सा 15/100 के स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवा कर अपीलान्ट् अपने 1/2 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने का अधिकारी है।

उक्त गलत अंकन के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया ही विधि विरूद्ध होने से दुरूस्त किए जाने योग्य है। यदि राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं किया गया तो पक्षकारान के मध्य मुकदमेंबाजी की बहुलता बढेगी तथा अपीलान्ट को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति धन से किया जाना कदापि संभव नहीं है। उक्त दुरूस्ती का इन्द्राज किए जाने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा बल्कि पक्षकारान का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन हो सकेगा।

यह कि रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 05.01.2012 को तस्दीक किया गया है जिसकी सूचना अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 11.07.2019 को तब हुई जब अपीलान्ट के सी सी बनवाने के लिए पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब मालूम चला कि अपीलान्ट के खाते में 1/2 हिस्से के स्थान पर 15/100 हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि अपीलान्ट ने अपनी आराजी भूमि 1/2 में से किसी भू भाग का बेचान नहीं किया है। उक्त आशय की जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के अपील पेश कर दी है। अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह अज्ञानता व जानकारी के अभाव में हुआ है जिसे क्षमा करने हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट् पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 05.01.2012 को निरस्त फरमाते हुये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से श्री राजेश कुमार सैनी एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से श्री रामसहाय मीना ने वकालतनामा पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत रोजदा का रजिस्टर्ड ए.डी. डाक करवाये 01 माह से अधिक समय हो चुका है कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया जाता है। तहसीलदार आमेर से मूल नामान्तकरण की पत्रावली पत्रांक भू.अ./2020/10322 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुयी है जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है। वकील अपीलान्ट् की बहस दिनांक 28.01.2021 को सुनी गयी एवं पत्रावली का

अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से निर्णित नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 05.01.2012 का अवलोकन किया गया। ख0नं0 279 रकबा 2.00 हैक्टे0 भूमि का विक्रय पत्र के अनुसार कल्याण पुत्र धन्ना का हिस्सा 1/2 के स्थान पर हिस्सा 15/100 दर हिस्सा 1/100 अंकन किया गया है जबकि कल्याण का हिस्सा 1/2 ही अंकन होना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ख0नं0 279 रकबा 2.00 हैक्टे0 भूमि का हिस्सा गलत अंकन किया है जो न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट् न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 111 दिनांक 05.01.2012 ग्राम पंचायत रोजदा तहसील आमेर को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

आदेश आज दिनांक **10.02.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।